BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 18 OF 2025

IN THE MATTER OF: -

Kadir Ahmad …Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. …Respondents

INDEX ***NDOH-06.05.2025***

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, in pursuance to the order dated 24.01.2025 passed by the Hon'ble Tribunal	**1-5**
2.	**ANNEXURE NO. R2/1** A true copy of the joint committee report dated 05.02.2025	**6-9**
3.	**ANNEXURE NO. R2/2** A true copy of the show cause notice dated 28.04.2025.	**10-11**
4.	**ANNEXURE NO. R2/3** A true copy of the letter dated 02.05.2025 alongwith the report of lekhpal dated 19.07.2023	**12-14**
5.	**ANNEXURE NO. R2/4** A true copy of the show cause notice dated 02.05.2025	**15-16**

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Respondent No. 2

Through

AMIT SHUKLA
Advocate for the Respondent No. 2
Office at : D- 54, Sector – 48, Noida – 201303
Email: amit.shukla@lexweb.in
Ph. No. +91 9999933220; 9999333220

Place: New Delhi
Date: 04.05.2025

Before The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi

Original Application No. 18/2025

(I.A.No. 33/2025)

IN THE MATTER OF:

KADIR AHMAD & Ors ....APPLICANT

Versus

STATE OF UP & Ors ....RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN PURSUANCE TO THE ORDER DATED 24.01.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I, Ashutosh Chauhan aged about 44 years, S/o Sri Ratan Singh Chauhan, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Moradabad, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, deponent in the official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such competent and authorized to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 24.01.2025 has observed that :

"........3. *Learned counsel for the applicant points out that Respondents Nos. 4 and 5 dug the pits in violation of the OM dated 24.06.2023 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which sets the limits for borrowing/excavation activity, provides for the restoration of the borrowed/excavated pit by the project proponent, and fences all around the pit.*

4. Learned counsel for the applicant submits that those directions contained in the O.M. were not complied with, consequently, 5 children had drowned in the illegally dug up pit which was filled with rainwater when they were playing in the field and got confused that the rainwater filled pit was a normal agricultural field filled with rainwater. The depth of the pit was around 9 feet. In this regard, he has also placed reliance upon the newspaper reports filed as annexure A/1. ......"

3. That further vide its order dated 24.01.2025 this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter Hon'ble Tribunal) by issuing the notices has directed the respondents to filed their response/reply by way an affidavit.

4. That in compliance to the above direction passed by this Hon'ble Tribunal, joint committee comprising of Additional District Magistrate, Shahbad, Rampur, Mining Officer Rampur and official of UPPCB, has

conducted joint inspection of defaulter brick kiln M/s Shama Brick Works, Gata No. 498, Village-Gehni, Tehsil-Shahbad, District-Rampur on 07.03.2025. During inspection it was found that the pit is filled with soil and leveled and there is no new pit found at the site. A true copy of joint committee report is being annexed herewith and marked as **Annexure-R2/1.**

5. That it is worthwhile to mention here that the questioned brick kiln has obtained consent to operate form UPPCB with validity 31.07.2029. During joint inspection dated 07.03.2025 the brick kiln was found operational but the ladder, platform and port hole at stack in the brick kiln were found damaged.

6. That considering above facts UPPCB vide its letter dated 28.04.2025 has issued Show cause notice under section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 for Closure of the unit. A true copy of Show cause notice dated 28.04.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure-R2/2**.

7. That it is to submit here that SDM Shahbad, Rampur vide its letter dated 02.05.2025 has provided the earlier report dated 19-07-2023 of lekhpal to RO UPPCB Moradabad. A true copy of letter dated 02.05.2025 along with the report of Lekhpal dated 19-

07-2023 is being annexed herewith and marked as **Annexure-R2/3**

8. That in the above mentioned report dated 19-07-2023 of Lekhpal which is annexed in the letter dated 02-05-2025 of SDM Shahbad, Rampur, it is mentioned that the questioned brick kiln M/s Shama Brick Works, Gata No. 498, Village- Gehni, Tehsil-Shahbad, District-Rampur has done illegal mining of ordinary soil of 792 cubic meter.

9. That on illegal mining FIR has been lodged against the concerned persons bearing FIR No. 0154 dated 19.07.2023 and officials of Regional Office, UPPCB, Moradabad conducted a visit and approached the soil contractors and according to them the market value of ordinary soil is approx Rs. 150/-per cubic meter.

Notary Public
Shiv Kumar Guatam
Notary/Advocate
Reg. No. 9493
Moradabad
Govt. of India

10. That considering above facts, UPPCB vide its letter dated 02.05.2025 has issued Show cause Notice for imposing the Environmental Compensation of Rs. 3,56,440/- (Rs. Three Lacs Fifty Six Thousand Four Hundred Forty only) against M/s Shama Brick Works, Gata No. 498, Village-Gehni, Tehsil-Shahbad, District-Rampur. A true copy Show cause notice dated 02.05.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure no. R2/4.**

11. That the present Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ....on this .... day of May, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

Notary Public
Shiv Kumar Gautam

Solemnly affirmed before me by Sri/Smt./Km. Ashutosh Chauhan
deponent who is identified by Sri/Smt./Km. ....
Clerk of Sri/Smt. .... Advocate on 04/05/2025
I have satisfied myself that by examining the deponent
That he/she understood the contents of the affidavit and the
same has been read over & explained by me.
Revd. Rs as fees

S K Gautam Adv
Shiv Kumar Gautam
Notary/Advocate
Regd. No 9493
Moradabad
04/05/2025

ANNEXURE - R2/1

6

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 18/2025 (आई0ए0 नं0 33/2025) कादिर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन के संबंध में प्रस्तरवार आख्या –

उपरोक्त विषयक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच 23796/सी–7/ओ0ए0नं0–18/2025 दिनांक 05.02.2025 के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 18/2025 (आई0ए0 नं0 33/2025) कादिर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं –

"..................3. Learned counsel for the applicant points out that Respondents Nos. 4 and 5 dug the pits in violation of the OM dated 24.06.2023 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which sets the limits for borrowing/excavation activity, provides for the restoration of the borrowed/excavated pit by the project proponent, and fences all around the pit.
4. Learned counsel for the applicant submits that those directions contained in the O.M. were not complied with, consequently, 5 children had drowned in the illegally dug up pit which was filled with rainwater when they were playing in the field and got confused that the rainwater filled pit was a normal agricultural field filled with rainwater. The depth of the pit was around 9 feet. In this regard, he has also placed reliance upon the newspaper reports filed as annexure A/1.
11. List on 06.05.2025................"

उक्त के अनुपालन हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), रामपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में संयुक्त निरीक्षण हेतु जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभाग के निम्नानुसार समिति का गठन किया गया। गठित समिति के अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है –

1. श्री महेन्द्र सिंह, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।
2. श्री अमित रंजन, खान अधिकारी, रामपुर।
3. श्री हिमांशु उपाध्याय, उपजिलाधिकारी, तहसील शाहबाद, रामपुर।

इसी क्रम में प्रश्नगत ईट भट्ठा मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0 498, ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर का उक्त समिति द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण दिनांक 07.03.2025 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री मनोज कुमार सिंह उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुए तथ्यों एवं कार्यालय अभिलेखानुसार प्रस्तरवार आख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त संदर्भित ईट भट्ठा मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0 498, ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर (अक्षांश 28.466273 एवं देशान्तर 78.985447) पर स्थापित है। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

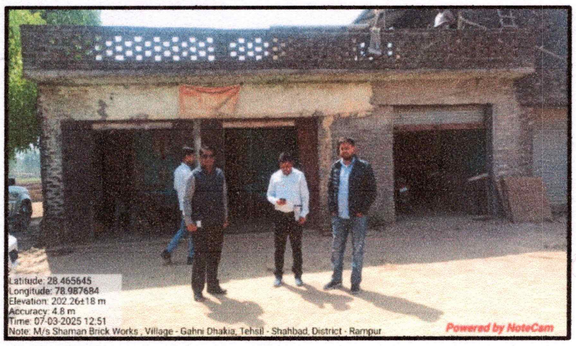

2. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में ईट भट्ठे के प्रोपराइटर श्री शरीफ अहमद द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे को श्रीमती ममता पत्नी श्री मनोज कुमार सिंह, निवासी ग्राम गहनी, तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर को संचालन हेतु किराये पर दिया गया है। वर्तमान में ईट भट्ठे का संचालन श्रीमती ममता पत्नी श्री मनोज कुमार सिंह, निवासी ग्राम गहनी, तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर द्वारा किया जा रहा है। उक्त के संबंध में निरीक्षण के दौरान उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा ईट भट्ठे के प्रोपराइटर श्री शरीफ अहमद, निवासी ग्राम गहनी, तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर एवं श्रीमती ममता पत्नी श्री मनोज कुमार सिंह, निवासी ग्राम गहनी, तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर के मध्य हुए किरायेनामे एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गयी **(छायाप्रति संलग्न–1 पर संलग्न है)**।
3. वर्तमान में उक्त ईट भट्ठे को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ओ0सी0एम0एम0एस0 पोर्टल के ऑनलाइन संदर्भ सं0 221525/UPPCB/Moradabad(UPPCBRO)/CTO/both/RAMPUR/2024 दिनांक 19.09.2024 के माध्यम से सहमति जल व वायु निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.07.2029 तक है **(छायाप्रति संलग्न–2 पर संलग्न है)**।
4. उक्त ईट भट्ठे के द्वारा सत्र 2024–25 हेतु विनियमन शुल्क जमा किया गया है, जिसके उपरान्त ईट भट्ठा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जो दिनांक 30.09.2025 तक वैध है। **(छायाप्रति संलग्न–3 पर संलग्न है)**।
5. उक्त संदर्भित ईट भट्ठा गोलाकार है, जिसके मध्य में भूतल से लगभग 30 मी0 ऊँचाई की चिमनी स्थापित है। ईट भट्ठे में 04 डक्ट चिमनी से सम्बद्ध है। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठे की चिमनी से जनित उत्सर्जकों के अनुश्रवण हेतु लैडर, प्लेटफार्म व पोर्ट हॉल क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया।
6. उक्त संदर्भित ईट भट्ठे द्वारा कच्ची ईंटो की पथाई हेतु पश्चिम दिशा में मिट्टी का खनन कार्य/पथेर का कार्य किया जाता पाया गया।
7. कार्यालय अभिलेखों में उक्त संदर्भित ईट भट्ठे को कच्ची ईंटो की पथाई हेतु डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट एसिसमेन्ट अथॉरिटी, रामपुर द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति उपलब्ध नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–446/81–7–2020–39(पर्या)/

AEE

2017 टी0सी0–1, दिनांक–01.05.2020 **(छायाप्रति संलग्न–4 पर संलग्न है)** के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में प्रदेश में स्थापित ईंट भठ्ठों को निम्नानुसार छूट प्रदान की गयी है–

''ईंट एवं मिटटी के बर्तन बनाने हेतु हस्तसंचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्त संचालन से साधारण मृदा, सामान्य मिटटी को निकालने की क्रिया, खनन संक्रियाओ, के अन्तर्गत नहीं आएगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गडढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी''

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त ई0आर0ए0 अधिसूचना दिनांक–28.03.2020 में उल्लेखित क्रियाकलापों में छूट के अन्तर्गत उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली (37वां संशोधन) 2014 के प्राविधानों के अनुसार ईंट बनाने हेतु हस्तसंचालित विधि से 02 मीटर की गहराई तक साधारण मृदा/सामान्य मिटटी की खुदाई के लिये पूर्व पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।''

8. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 18/2025 (आई0ए0 नं0 33/2025) कादिर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में उल्लिखित प्रश्नगत स्थल (अक्षांश 28.466273, देशान्तर 78.985447) ईट भट्ठे के पश्चिम दिशा में लगभग 180 मी0 की अनुमानित दूरी पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल पर वर्तमान में कोई गढ्ढा नहीं है। निरीक्षण के दौरान गढ्ढे का मिट्टी से भराव कार्य पूर्ण पाया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठे द्वारा मिट्टी खुदाई/कच्ची ईंटों की पथाई स्थल एवं प्रश्नगत स्थल पर किसी भी प्रकार की तारबन्दी एवं सांकेतिक बोर्ड स्थापित नहीं पाया गया। मिट्टी खुदाई/कच्ची ईंटों की पथाई स्थल एवं प्रश्नगत स्थल पर निकटतम स्थित अन्य ईट भट्ठा स्थल एवं उत्तर दिशा में बाउण्ड्री के समीपस्थ कृषि भूमि के तल से 2.0 मी0 से अधिक गहराई पर खनन किया जाना परिलक्षित हुआ।

9. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित उक्त वर्णित ओ0ए0 की रिट के पृष्ठ सं0– 71 से 74 पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ''प्रश्नगत मिट्टी खुदाई स्थल पर वर्ष 2023 में ईट भट्ठा स्वामी श्री शरीफ अहमद पुत्र श्री शब्बीर हसन, निवासी ग्राम ढकिया, थाना शाहबाद, रामपुर द्वारा पथेर हेतु मानकों से अधिक गहराई की खुदाई किये जाने एवं खुदाई स्थल पर वर्षात् का पानी भर जाने के

AEE

कारण, स्थल पर कोई तारबन्दी अथवा सांकेतिक बोर्ड न होने के कारण दिनांक 19.06.2023 को 05 बच्चे कमशः – अलीना पुत्री श्री कदीर (उम्र लगभग 12 वर्ष), गुलफ्शा पुत्री श्री नियाज़ अली (उम्र लगभग 12 वर्ष), सना पुत्री श्री इसरार (उम्र लगभग 12 वर्ष), चंचल पुत्री श्री मोहन (उम्र लगभग 12 वर्ष) व अकील पुत्र श्री शकील (उम्र लगभग 12 वर्ष) की गढ़ढे में भरे हुए पानी में डूबने से मृत्यू हो गयी थी। उक्त घटना के संबंध में जिला प्रशासन, रामपुर की ओर से मृतक बच्चों के परिजनों को रू0 4.0 – 4.0 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी थी **(छायाप्रति संलग्न–5 पर संलग्न है)**।

10. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित उक्त वर्णित ओ0ए0 की रिट के पृष्ठ सं0– 26 से 28 पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार "उक्त घटना के संबंध में मानक से अधिक मिट्टी उठाने के कारण गढ़ढा बनने के संबंध में दिनांक 19.07.2023 को मु0अ0सं0–154/2023 अ0धारा0–304 आई0पी0सी0 थाना शाहबाद, रामपुर में ईट भट्ठा स्वामी श्री शरीफ अहमद पुत्र श्री शब्बीर हसन के विरूद्ध दर्ज की गयी थी, जोकि मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय, रामपुर स्तर पर विचाराधीन है" **(छायाप्रति संलग्न–6 पर संलग्न है)** ।
11. निरीक्षण के दौरान उपस्थित श्री भगवान दास (ईट भट्ठा मुंशी) पुत्र श्री उत्तम द्वारा उक्त घटित दुर्घटना के संबंध में अवगत कराया गया कि ईट भट्ठा स्वामी द्वारा कच्ची ईंटो की पथाई हेतु खनन क्षेत्र/पथाई क्षेत्र में 2.0 मी0 से अधिक गहराई में मिट्टी की खुदाई की गयी थी तथा इस प्रकार के कई गढ़ढे बनाये गये थे। गढ़ढों का प्रयोग ईट पथाई हेतु गारा बनाने में किया गया था।
12. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित उक्त वर्णित ओ0ए0 की रिट के पृष्ठ सं0– 43 से 47 पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त घटित घटना के संबंध में श्री हरस्वरूप मौर्य पुत्र श्री भूरे सिंह, निवासी ग्राम औसी, थाना शाहबाद, रामपुर, श्री भगवान दाय पुत्र श्री उत्तम, निवासी ग्राम गदमरपट्टी, थाना शाहबाद, रामपुर, श्री नरेश पुत्र श्री भूपाल, निवासी ग्राम गदमरपट्टी, थाना शाहबाद, रामपुर, श्री कल्लू पुत्र श्री भूपाल, निवासी गदमरपट्टी, थाना शाहबाद, रामपुर आदि द्वारा ईट भट्ठा स्वामी श्री शरीफ अहमद पुत्र श्री शब्बीर हसन, निवासी ग्राम ढकिया, थाना शाहबाद, रामपुर के विरूद्ध बयान दर्ज कराये गये है **(छायाप्रति संलग्न–7 पर संलग्न है)**।

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन में मा0 अधिकरण में दाखिल की जाने वाली रिपोर्ट/रेस्पॉन्स की प्रस्तरवार आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(अमित रंजन)
खान अधिकारी, रामपुर

(महेन्द्र सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद

(हिमांशु उपाध्याय)
उप जिलाधिकारी
तहसील शाहबाद, रामपुर

ANNEXURE - R2/2

10

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0–1127462 / सी–7 / वायु–2170 / 2024

दिनांक:– 28-4-25

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स,
गाटा सं0–498, ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद,
जनपद रामपुर।
मो0–0591 2485594

यह कि मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0–498, ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर द्वारा ईट का उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–2 (के0) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि ईट भट्ठा मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0–498, ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर की चिमनी से जनित उत्सर्जकों के अनुश्रवण हेतु चिमनी पर स्थापित लैडर, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल क्षतिग्रस्त अवस्था मे पाये गये।

यह कि कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे को पूर्व मे राज्य बोर्ड के ओ0सी0एम0एम0एस0 पोर्टल के ऑनलाइन संदर्भ संख्या–221525 / यू0पी0पी0सी0बी0 / मुरादाबाद(यू0पी0पी0सी0बी0 आर0ओ0) / सी0टी0ओ0 / बोथ / रामपुर / 2024 दिनांक 19.09.2024 के माध्यम से सहमति निर्गत की गयी जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.07.2029 तक है। ईट भट्ठा निरीक्षण के समय जल छिड़का की व्यवस्था, पैव्ड रोड एवं हरित पट्टिका विकसित नही पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि ईट भट्ठे द्वारा सहमति आदेश में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन होता नही पाया गया।

यह कि ईट भट्ठा जिग–जैग पद्धति / हाई ड्राफ्ट पद्धति पर संचालित नहीं पाया गया और न ही ईट भट्ठे द्वारा बी0के0टी0 पद्धति नवीन में परिवर्तन हेतु तकनीकी विवरण सहित प्रस्ताव राज्य बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड को प्राप्त प्रदत्त शक्तियों के अधीन ईट भट्ठा मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0–498, ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैः–

I. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0–498, ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिये जाए।
II. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0–498, ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर के संचालन से सम्बद्ध समस्त विद्युत कनेक्शनों एवं जल आपूर्ति कनेक्शन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।
III. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0–498, ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर को राज्य बोर्ड के ओ0सी0एम0एम0एस0 पोर्टल के ऑनलाइन संदर्भ संख्या–221525 / यू0पी0पी0सी0बी0 / मुरादाबाद(यू0पी0पी0सी0बी0आर0ओ0) / सी0टी0ओ / बोथ / रामपुर / 2024 दिनांक 19.09.2024 के माध्यम से जारी सहमति को तत्काल प्रभाव से खण्डित कर दिया जाए।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

कृ0पृ0उ0

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला खनन अधिकारी, रामपुर
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन हेतु मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0–498, ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर को कारण बताओ नोटिस की प्रति हस्तगत कराते हुए अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

कार्यालय उप जिलाधिकारी शाहबाद जनपद रामपुर।

संख्या 511 /एस0टी0 दिनांक 02/05/2025 12

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 18/2025 (आई0ए0 नं0 33/2025) कादिर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
मुरादाबाद

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संवख्या 651/एन–13/18/2025/जनरल दिनांक 01.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 18/2025 (आई0ए0 नं0 33/2025) कादिर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनाक 24.01.2025 के अनुपालन हेतु राजस्व अभिलेखों में संरक्षित के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में तहसील शाहबाद द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी सूचना की छायाप्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

संलग्नक– यथोक्त।

उपजिलाधिकारी
शाहबाद, रामपुर।

महोदय

ग्राम गहनी व गदमरपट्टी टीकासिंह के क्षेत्रवासियों द्वारा शरीफ के भट्टे के पास बने गड्ढे में भरे हुए पानी में बच्चों के डूबने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर स्थलीय निरीक्षण किया गया कृपया उक्त घटना का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

मौके पर श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय , श्रीमान खनन अधिकारी महोदय , श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय ,हल्का लेखपाल गदमरपट्टी टीकासिंह,हल्का लेखपाल गहनी के साथ निरीक्षण किया गया । ग्राम गदमरपट्टी टीकासिंह की सीमा से सटे हुए ग्राम गहनी आराजी गाटा संख्या 494 रकबा 0.9300 हेक्ट , गाटा संख्या 496 रकबा 0.454 हेक्ट, गाटा संख्या 497 रकबा 0.464 हेक्ट में शरीफ अहमद पुत्र शब्बीर हसन निवासी ढकिया का ईट भट्टा हैं । गाटा संख्या 494 0.9300 हेक्ट के आंशिक भाग में 18 मी लंबा , 20 मी चौड़ा गड्ढा बना हुआ था ।जिसमे पानी भरा हुआ था । पानी के स्तर से ऊपर का भाग 5 फीट पाया गया। स्थानीय निवासी रघुवीर पुत्र डोरीलाल व तेजपाल पुत्र भागीरथ निवासी गदमर पट्टी की साहयता से पानी के स्तर के नीचे की गहराई का मापन बांस द्वारा किया गया। पानी के नीच के औसत गहराई 9 फीट पायी गयी। अतः गड्ढे की कुल गहराई 14 मीटर मापी गयी। अतः यह कहना उचित होगा कि उक्त गहराई खनन मानकों से अधिक हैं । उक्त गड्ढे में भरे हुए पानी में बकरी चराने के दौरान स्नान करते समय दिनांक 19/07/23 समय लगभग साँय 4:30 बजे अलीना पुत्री कदीर आयु 12 वर्ष ,अकील पुत्र सकील अहमद आयु 10 वर्ष ,गुलव्शा पुत्री नियाज आयु 10 वर्ष ,सना पुत्री इसरार आयु 10 वर्ष ,चंचल पुत्री मोहन आयु 10 वर्ष निवासी गदमर पट्टी मोती सिंह की प्रत्यु हो गयी । इस प्रकार उनके द्वारा मिट्टी के अवैध खनन से बने गड्ढे में पानी भर जाने के कारण बच्चों की प्रत्यु हो गयी । आख्या सेवा में सादर प्रेषित

19/07/23
Sumit Kr Saxena
Rev Lekhpal
Madhukar

19-07-023

नजरी नक्शा – ग्राम [illegible]

गाटा सं० 494 रकबा 0.53[illegible] हे०

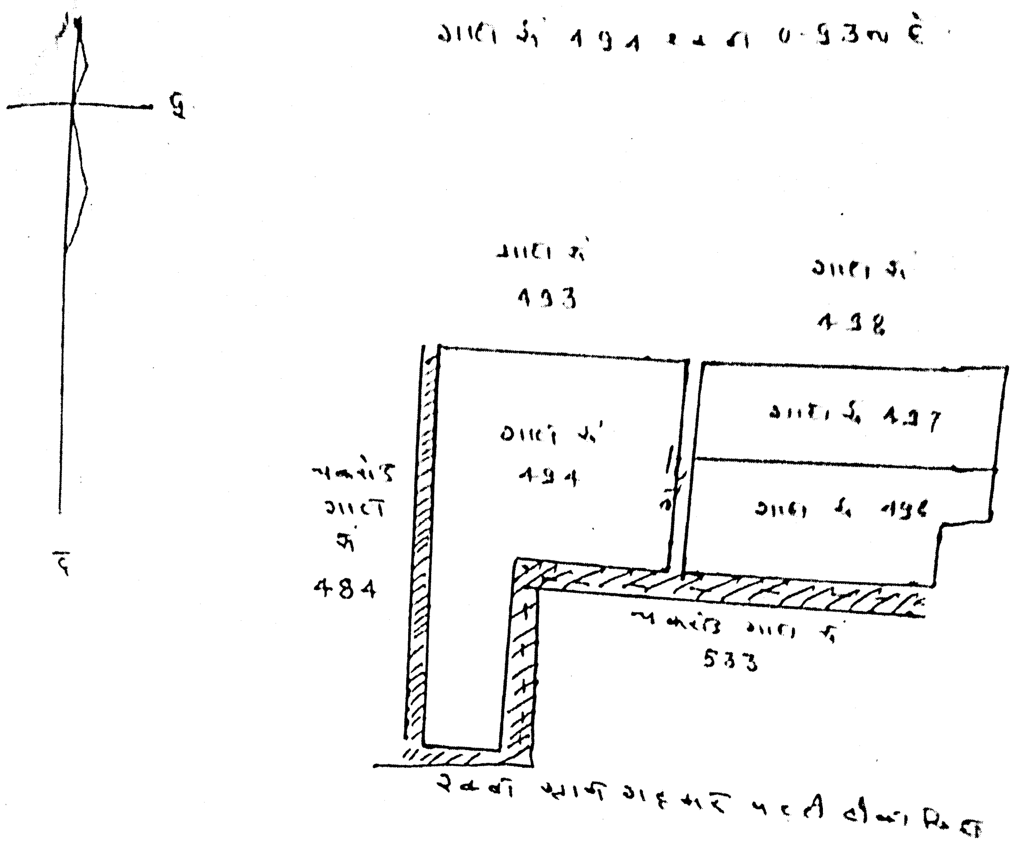

2011/7/23

Sumit Kr Saxena

Pesh. Lekhpal

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0-127708/सी-7/खाद्य-2170/2024

दिनांक 02/5/25
पंजीकृत

सेवा में,

मै0 शमा ब्रिक वर्क्स,
गाटा सं0-498, ग्राम-गहनी, तहसील-शाहबाद,
जनपद-रामपुर।

विषय – माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-18/2025 Kadir Aahmad Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 में पारित आदशों के अनुपालन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-18/2025 Kadir Aahmad Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

> *"......Learned counsel for the applicant points out that Respondents Nos. 4 and 5 dug the pits in violation of the OM dated 24.06.2023 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which sets the limits for borrowing/excavation activity, provides for the restoration of the borrowed/excavated pit by the project proponent, and fences all around the pit.*
>
> *Learned counsel for the applicant submits that those directions contained in the O.M. were not complied with, consequently, 5 children had drowned in the illegally dug up pit which was filled with rainwater when they were playing in the field and got confused that the rainwater filled pit was a normal agricultural field filled with rainwater. The depth of the pit was around 9 feet. In this regard, he has also placed reliance upon the newspaper reports filed as annexure A/1. ...."*

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-18/2025 (आई0ए0 न0 33/2025) कादिर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के क्रम में आपके ईंट भट्ठे मै0 शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0-498, ग्राम-गहनी, तहसील-शाहबाद, जनपद-रामपुर का संयुक्त निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खान अधिकारी, रामपुर एव उपजिलाधिकारी, तहसील-शाहबाद, रामपुर द्वारा दिनांक 07.03.2025 को किया गया। उक्त संयुक्त निरीक्षण में ईंट भट्ठा संचालित पाया गया तथा बोर्ड के पत्र दिनांक 19.09.2024 द्वारा सशर्त सहमति निर्गत की गयी है जिसका वैधता दिनांक 31.07.2029 तक है।

यह कि उक्त प्रकरण में उप जिलाधिकारी शाहबाद के पत्र संख्या- 515 S.T.दिनाक 02.05.2025 द्वारा लेखपाल रामपुर द्वारा पूर्व में दिनांक 19.07.2023 को हस्ताक्षरित स्थल निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार ग्राम-गहनी व गदमरपट्टी टीकासिंह के क्षेत्रवासियों द्वारा शरीफ के भट्ठे के पास बने गड्ढे में भरे हुए पानी में बच्चों के डूबने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर उप जिलाधिकारी, रामपुर, खनन अधिकारी, रामपुर, राजस्व निरीक्षक द्वारा गाटा संख्या-494 रकबा 0.9300 हे0, गाटा संख्या-496 रकबा 0.454 हे0 एवं गाटा संख्या-497, रकबा 0.464 पर शरीफ अहमद पुत्र शब्बीर हसन का भट्ठा है तथा गाटा संख्या-494 रकबा 0.9300 हेक्ट0 के आंशिक भाग मे 18 मीटर लम्बा 20 मीटर चौड़ा एवं 4.2 मीटर गहरा गड्ढा पाया गया। लेखपाल की उक्त रिपोर्ट में वर्णित है कि यह कहना उचित होगा कि उक्त गहराई खनन मानकों से अधिक है।

यह कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 01.05.2020 द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत आच्छादित ईंट भट्ठों द्वारा 02 मीटर की गहराई तक मिट्टी का खनन किये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गयी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रकरण में ईंट भट्ठे मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0-498, ग्राम-गहनी, तहसील-शाहबाद, जनपद-रामपुर द्वारा गाटा संख्या-494 रकबा 0.9300 हेक्ट0 पर 02 मीटर से अधिक की खुदाई किये जाने के दृष्टिगत 18 मीटर x 20 मीटर x 2.2 मीटर अर्थात 792 घनमीटर अवैध खनन किया गया है।

..........................कृ0पृ0उ0

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–360/2015 National Green Tribunal Bar Association Vs. Virendra Singh (State of Gujrat) & Ors. मे पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 11.06.2021 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत Development of mechanism for assessment and recovery of compensation हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुक्रम मे केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा अवैध खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में तैयार की गयी मागदर्शिका दिनांक 29.01.2020 शीर्षक Recommendation on scale of compensation to deal with the cases of illegal sand mining मे वर्णित Approach-2 के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र निर्धारित किया गया है–

EC= Dx (1+RF+DF)
Where,
D- Market Value of illegally mined material,
RF-Risk factor,
DF- Deterrence factor

यह कि अवैध खनन हेतु बाजार मूल्य के सम्बन्ध में खनन विभाग से सूचना प्राप्त न होने के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत विभिन्न ठेकेदारों से बाजार मूल्य के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की गयी जिसके अनुसार एक घनमीटर मिट्टी का औसत बाजार मूल्य रू0–150/– है। उक्त के अतिरिक्त ईट भट्ठे द्वारा किये गये अवैध खनन हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नही की गयी है अतः Risk factor एवं Deterrence factor की अधिकतम मान क्रमशः 01 एवं 01 के अनुरूप लिया गया है।

यह कि उक्तानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में तैयार की गयी मागदर्शिका दिनांक 29.01.2020 मे वर्णित Approach-2 के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है:–

EC= 150 x (1+1+1)
EC= Rs. 450 per Cubic meter.
EC (for 792 cubic meter illegal mining) = Rs. 3,56,440/- (Rs. Three Lacs Fifty Six Thousand Four Hundred Forty only)

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–18/2025 (आई0ए0 नं0 33/2025) कादिर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद रामपुर में किये गये अवैध मिट्टी के खनन हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत रू0–3,56,400/– (रू0–तीन लाख छप्पन हजार चार सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

"यह कि ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील–मिलक जनपद रामपुर की गाटा संख्या–494, रकवा 0.9300 हेक्ट0 पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से 18x20x2.2 घनमीटर (792 घनमीटर) का खनन किये जाने के दृष्टिगत क्यों न मैसर्स शामा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0–498, ग्राम–गहनी, तहसील–शाहबाद, जनपद–रामपुर के विरूद्ध रू0–3,56,400/–(रू0–तीन लाख छप्पन हजार चार सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।"

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिनो के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि मे स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उक्त निर्देशों की पुष्टि करते हुए आपके विरूद्ध उक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी रामपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. जिला खनन अधिकारी रामपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति सम्बन्धित को तत्काल प्राप्त कराते हुए पावती सहित ससमय उक्त कारण बताओ नोटिस के निस्तारण के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7